


(7)

8

आमिन्नेख अपरबाधित । उमय पन  
अनुपानित । उक्त वाढ मे 6 (छं) माह  
की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात्  
वाढ कालबाधित से गया हो अवः वाढ  
मे आमिन्नेख की कारवाही बन्द की जाती

है

  
19/2/18  
कार्यपालक दफ्तराधिकारी  
बुण्डू (सैबी)